PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Navbharat Times, Delhi
Wednesday 25th June 2014, Page: 15
Width: 8.31 cms, Height: 10.54 cms, a4, Ref: pmin.2014-06-25.34.60

कई और दवाओं के दामों पर लगेगी लगाम

■वरिष्ठ संवाददाता, नई दिल्ली

सरकार प्राइस कंट्रोल के दायरे में कई और दवाओं को शामिल करने पर विचार कर रही है। अभी 348 बल्क ड्रग्स और इनके संयोग से बनने वाली 654 दवाएं इसके दायरे में शामिल हैं। सरकार के इरादे से दवा कंपनियों में खासी बेचैनी है। वह इससे पहले भी 348 दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाने के खिलाफ थीं। इसी कारण कई दवा कंपनियों ने प्राइस रिवीजन के लिए नैशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी में अपील दायर की थीं।

सूत्रों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल के दायरे में शामिल की जाने वाली नई दवाओं में कई एंटीबायोटिक्स के अलावा कैंसर की दवाएं भी शामिल हैं। नई दवाओं के मामलों पर विचार करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है। गौरतलब है कि जब सरकार ने प्राइस कंट्रोल के दायरे में 74 की जगह 348 दवाओं को शामिल करने का फैसला किया था तो दवा कंपनियों ने उसका काफी विरोध किया था। दूसरी ओर, तब कई स्वयंसेवी संगठन और पॉलिटिशन दवाओं के रेट तट करने के फॉर्म्युले से नाखुश थे। सरकार ने नई दवाओं के रेट तय करने का आधार बाजार में उपलब्ध दवाओं के औसत मूल्य को बनाया था, जबकि मांग लागत के आधार पर रेट तय करने की थी।